प्रेस नोट संख्या - 44

दिनांक- 28.03.2026

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 मोबाइल फोन व साइबर धोखाधड़ी कर बैंक खाते से निकाले गये 6500/- रुपये नकद बरामद।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 28.03.2026 को क्षेत्राधिकारी मुसाफिरखाना श्री अतुल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहन के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 32/26 धारा धारा 66 डी आईटी एक्ट थाना कमरौली जनपद अमेठी से संबंधित 05 अभियुक्तों 1.रोहित पुत्र अर्जुन निवासी चिनाकौड़ी बाजार थाना कुल्टी आसन सोल जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल प्रान्त उम्र 22 वर्ष, 2.उज्वल कुमार पुत्र बद्रीनारायण निवासी दरलाघाट थाना तीन पहाड़ जनपद साहबगंज झारखण्ड प्रान्त उम्र करीब 38 वर्ष, 3.नीतीश पुत्र हरीराम निवासी मकान नं0 09-10 चिनाकौड़ी बाजार थाना कुल्टी आसनसोल जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल प्रान्त उम्र करीब 26 वर्ष, 4.राजा पुत्र मंगला निवासी निगाह भाटापाडा थाना जमुडिया जिला आसनसोल पंश्चिम बंगाल प्रान्त उम्र करीब 25 वर्ष, 5.रमेश पुत्र सुरेश निवासी नोनिया बस्ती चिनाकुड़ी थाना कुल्टी आसनसोल जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल प्रान्त उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। तलाशी से अभियुक्त रोहित के पास से 02 मोबाइल व 1500 रुपये, अभियुक्त उज्वल कुमार के पास से 02 मोबाइल व 1500/- रुपये, अभियुक्त नीतीश के पास से 02 मोबाइल व 1000/- रुपये, अभियुक्त राजा के पास से 02 मोबाइल व 1000/- रुपये, अभियुक्त रमेश के पास से 02 मोबाइल व 1500/- रुपये बरामद हुए।

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि वे सभी एक साथ घूम टहलकर उत्तर प्रदेश के शहरों, कस्बों व बाजारों में घूमते हैं और किसी न किसी व्यक्ति का मोबाइल फोन चोरी कर लेते हैं और वहां से तत्काल हट जाते हैं। चोरी किये गये मोबाइल सेट को पश्चिम बंगाल ले जाकर संजय मण्डल नाम के व्यक्ति से मोबाइल का लॉक खुलवाकर उसी मोबाइल से यू0पी0आई अथवा अन्य नेट बैंकिग प्लेटफार्म तैयार कराकर उसी नम्बर से जुड़े बैंक खाते से ऑनलाइन फ्रॉड कर के रुपये निकालकर हम लोग खर्च करते हैं। दिनांक 01 फरवरी 2026 को उन लोगों ने मोहनगंज के पास तिलोई बाजार में भीड़ में खरीदारी करते हुए एक व्यक्ति का मोबाइल निकाल लिया था तथा संजय मण्डल से नेट बैंकिग प्लेटफार्म बनवाकर यू0पी0आई0 के माध्यम से दिनांक 9 फरवरी 2026 तक उक्त बैंक खाते से कुल 4,76,386 रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रान्सफर करके सम्बन्धित खाता धारकों से नगदी प्राप्त कर आपस में बांट लिए थे। बरामद रुपये उसी साइबर धोखाधड़ी से प्राप्त रुपये हैं, शेष रुपये खर्च हो गये हैं।

मुकदमा उपरोक्त में धारा 318(4), 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1. रोहित पुत्र अर्जुन निवासी चिनाकौड़ी बाजार थाना कुल्टी आसन सोल जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल प्रान्त उम्र 22 वर्ष।
2. उज्वल कुमार पुत्र बद्रीनारायण निवासी दरलाघाट थाना तीन पहाड़ जनपद साहबगंज झारखण्ड प्रान्त उम्र करीब 38 वर्ष।
3. नीतीश पुत्र हरीराम निवासी मकान नं0 09-10 चिनाकौड़ी बाजार थाना कुल्टी आसनसोल जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल प्रान्त उम्र करीब 26 वर्ष।
4. राजा पुत्र मंगला निवासी निगाह भाटापाडा थाना जमुडिया जिला आसनसोल पंश्चिम बंगाल प्रान्त उम्र करीब 25 वर्ष।
5. रमेश पुत्र सुरेश निवासी नोनिया बस्ती चिनाकुड़ी थाना कुल्टी आसनसोल जिला वर्धमान पश्चिम बंगाल प्रान्त उम्र करीब 32 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 32/26 धारा 66 डी आईटी एक्ट व 318 (4)/317(2) बीएनएस थाना कमरौली जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री धीरेन्द्र कुमार यादव प्रभारी निरीक्षक थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
2. निरी0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह यादव थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
3. उ0नि0 संजीव कुमार सिंह थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
4. का0 चन्द्रभान थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।
5. का0 अजय कुमार थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।